न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 122/2019(2019/00127)

1. पमेश्वर पुत्र चन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर।

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. श्रीमान तहसीलदार साहब सावर तहसील सावर जिला अजमेर।
2. नन्दा पुत्र हरनाथ जाति मीणा।
3. कमला देवी पत्नी मगना जाति मीणा।

निवासीगण ग्राम चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:-
प्रार्थी वकील :- श्री भंवरलाल शर्मा
पेराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार सावर

आदेश

दिनांक 14.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत 2072-75 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
96-147	485	0.26	बारानी 1

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमे प्रार्थी संख्या 2 व 3 प्रार्थी की आराजीयात के पडोसी खातेदार है प्रार्थी ने अपनी अराजीयात का पूर्व मे सीमाज्ञान करवाया व पटवारी हल्का द्वारा सीमा चिन्ह किये गये परन्तु प्रतिवादीगण बार-बार सीमा चिन्हों को मिटा देते है व प्रार्थी की आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने व फसल काश्त करने पर उतारू हो जाते है व मना करने पर लडाई झगडा करते है प्राथी को अपनी आराजीयात का स्थायी सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक हो गया है जिससे भविष्य में किसी प्रकार से आराजीयात के सीमा के बाबत विवाद पेदा न हो क्योंकि अप्रार्थीगण बार-बार सीमाज्ञान कराने पर नही मान रहे है व सीमा चिन्हों को मिटा देते है जिससे स्थायी सीमाज्ञान करवाया जाना आवश्यक हो गया हे अप्रार्थी संख्या 1 वाद वर्णित आराजीयात के लेण्ड लोर्ड है व आराजीयात का स्थायी सीमाज्ञान करते है जिसको उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से अप्रार्थी बनाया गया है। प्रार्थी को उक्त प्रकरण प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 28.5.2019 को पटवारी से वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान करवाया था परन्तु अप्रार्थीगण सीमा चिन्हों को मानने से इन्कार कर दिया व दिनांक 30.5.2019 को प्रार्थी खेत को हांक चौक कर तैयार करने हेतु गया तब अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने आराजीयात की सीमा बाबत् लडाई झगडा किया तब उत्पन्न हुआ अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है अतः प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर स्थायी पत्थरगढी कराने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा बावजूद सम्मन तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 जर्ये पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी अंकित कर जिसमे बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीग प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार है। खातेदार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम चीतीवास तहसील सावर के खाता संख्या नया पुराना 96–147 के खसरा संख्या 485, रकबा 0.26हैक्टर, की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकडी (जिला अजमेर)

Scanned with CamScanner